

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) लेम् प्र.क.सं.वा.प.

-आदेश-

प्राथी के द्वारा दुरुस्त प्रार्थना पत्र एवं फटवारी श्री. राजेश चंद्र शर्मा के अन्वय में रिपोर्ट तथा तहसीलदार रा.क.सं.वा.प./नया तहसीलदार को अनुसंधान के आधार पर राजस्थान न.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसार नै. क्रम 240 तहसील रा.क.सं.वा.प. जिला Surat की जमाबन्दी सन् 2014-15 में खाता संख्या 5 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अनुरोध के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (असुद प्रविष्टि)	आदेश (सुद प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	7KSD	56	रकम - 00000000 रकम	रकम - 00000000 रकम

(हस्ताक्षर)
 पीठासीन अधिकारी
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक - 07/11/25

उपरोक्त :-
 क्र.सं. 239

1. राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अन्वय में अनुरोध के आधार पर रिपोर्ट किया जाये।
2. प्राथी को रा.क.सं.वा.प. को सूचना दी।
3. ए.क.सं. 239/2025।

(हस्ताक्षर)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

